सं0-374/xxviii(3)-2004-59/2005

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून:दिनांक : 30 मार्च, 2005

विषय: सा0स्वा0के0 पोखड़ा, जनपद पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-7प/1/पी.ए.सी./2005/3109 दिनांक 18.2.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखड़ा, जनपद पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु लागत रू0 1,42,58,000.00 (रू0 एक करोड बयालीस लाख अठावन हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु संलग्नकानुसार रू0 30,00,000.00 (रू0 तीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टयों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3- उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

सं0-374/xxviii(3)-2004-59/2005

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून:दिनांक : 30 मार्च, 2005

विषय: सा0स्वा0के0 पोखड़ा, जनपद पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-7प/1/पी.ए.सी./2005/3109 दिनांक 18.2.2005 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखड़ा, जनपद पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु लागत रू0 1,42,58,000.00 (रू0 एक करोड बयालीस लाख अठावन हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष मे व्यय हेतु संलग्नकानुसार रू0 30,00,000.00 (रू0 तीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टयों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3- उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरे शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8- एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जावें।

11- आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टयों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नीव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नीव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15- उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुरीक्षित करने की आवश्यकता न पडे ।

16- उक्त व्यय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत -02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें -104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 0302- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - आयोजनागत 02- ग्रामीण

स्वास्थ्य सेवायें, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 97- वाह्य सहायतितपरियोजनाएं, 9702-हैल्थ सिस्टम परियोजना, 24- वृहत निर्माण कार्य की बचत से वहन की जायेगा ।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-1712/वित्त अनुभाग-2/2004 दिनांक 30.3.05 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अर्जुन सिहं)
संयुक्त सचिव

सं0-374/xxviii(3)-2004-59/2005 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देरादून ।

2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।

3- कोषाधिकारी, देहरादून।

4- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी।

5- क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल।

6- निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।

7- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.

8- गार्ड फाईल ।

भवदीय,

(अर्जुन सिहं)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या: 374/XXVIII(3)-2004-59/2005 दिनांक [illegible] का संलग्नक।

(वित्तीय वर्ष 2004-05)

(रू0 हजार में)

नियंत्रकअधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून

अनुदान सं0 - 12

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्याविधक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत -02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110- अस्पताल तथा औषधालय, 97- बाह्य सहायतित परियोजनायें 9702- हैल्थ सिस्टम परियोजना, 24- वृहत निर्माण कार्य				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र -0302- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश), 24- वृहत निर्माण कार्य			क. हेल्थ सिस्टम परियोजना में आवश्यकता से अधिक बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की बचत है। ख. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) के अंतर्गत कम बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की आवश्यकता है।
235302	100000	-	135302	3000	32828	232302	
योग 235302	100000	-	135302	3000	32828	232302	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 151,156 में उल्लिखत प्रतिबन्धें एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता

(अर्जुन सिंह)

संयुक्त सचिव

1500

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग - 2
संख्या 1712 (A) वित्त अनु0-2/
देहरादून : दिनांक 30.3.05

पुर्नविनियोजन स्वीकृति

एल0एम0 पंत
अपर सचिव,
वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
माजरा सहारनपुर रोड़, देहरादून।

संख्या- 374/xxviii(3)-2004-59/2005 दिनांक 30-3-5 का संलग्नक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग-2
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव